उत्तर प्रदेश शासन
संस्थावगत वित्तर कर एवं निबंधन अनुभाग-1
सं0-127/2018/सं0वि0क0नि0-1-1588/11-2018-एम(15)/2017
लखनऊर : दिनांकरू : 12 सितम्बर, 2018

विज्ञप्ति / प्रोन्नति

निर्देश याचिका सं0-1320/2015 देवेन्द्र कुमार दूबे बनाम उ0प्र0 राज्य सरकार व अन्य में पारित मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण के निर्णय दिनांक 17.03.2016 के अनुपालन में श्री देवेन्द्र कुमार दूबे को उनके कनिष्ठ अधिकारी की सहायक आयुक्त (मनोरंजन कर) के पद पर पदोन्नति की तिथि 05.01.2015 से सहायक आयुक्त (मनोरंजन कर) के पद पर एतद्वारा नोशनल पदोन्नति प्रदान की जाती है।

2- चूंकि श्री दूबे द्वारा उक्त नोशनल पदोन्नति अवधि में सहायक आयुक्त (मनोरंजन कर) के पद पर कार्य नहीं किया गया है, अतः 'नो वर्क नो पे' के सिद्धान्त के आधार पर नोशनल पदोन्नति अवधि का वेतन/एरियर देय नहीं है।

श्री राज्यपाल की आज्ञा से

मो0 मारूफ
विशेष सचिव।

संख्या-सं0वि0क0नि0-1-1588/11-2018 तद् दिनॉक
प्रतिलिपि निम्नतलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ।
3. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4. श्री देवेन्द्र कुमार दूबे, से0नि0 जिला मनोरंजन कर अधिकारी द्वारा कमिश्नर वाणिज्य कर उ0प्र0 लखनऊ।
5. उपायुक्त, वाणिज्य कर (मनोरंजन कर) लखनऊ को इस निर्देश सहित प्रेषित कि अवमानना वाद सं0-175/2017 देवेन्द्र कुमार दूबे बनाम श्री आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग, उ0प्र0 शासन के सम्बन्ध में मा0 अधिकरण को वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए अनुपालन आख्या दाखिल करने का कष्ट करें।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

नरेन्द्र कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।